

न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय सं०-2 आगरा।

परिवाद सं०-11528/2019

अहिंसा ड्रग बनाम साहिल मेडिकल

धारा- 138 एन.आई.एक्ट

थाना-हरीपर्वत,

जिला- आगरा।

दिनांक-16.06.2026

पत्रावली पेश हुआ। परिवादी अनुपस्थित कोई हाजिरी माफी व स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया न ही साक्ष्य अन्तर्गत धारा-202crpc प्रस्तुत किया गया। प्रतीत होता है कि वादी को मुकदमा आगे चलाये जाने में रुचि नहीं रह गयी है। जिससे वह न उपस्थित आ रहा है न ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः परिवाद अन्तर्गत धारा 203crpc निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रामदयाल)

पीठासीन अधिकारी,

अतिरिक्त न्यायालय सं०-02, आगरा।

